

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

Computerized



क्रमांक/अका./2020/5205

जबलपुर, दिनांक 12/3/2020

प्रति,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त,
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के,
प्राचार्यगण।

विषय- सत्र 2020-21 की वार्षिक सम्बद्धता शुल्क/निरंतरता शुल्क बाबत।

महोदय,

33² इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/अका0/2019/4965, दिनांक 19/12/2019, क्रमांक/अका0/2020/5002, दिनांक 15/01/2020 एवं कं./अका./2020/5084, जबलपुर दिनांक 05/02/2020 के तहत सूचित किया गया था, कि आप परिनियम 27 की धारा (3) (ii) के अंतर्गत अपने महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों की वार्षिक सम्बद्धता शुल्क/निरंतरता शुल्क दिनांक 01/02/2020 से 29/02/2020 तक अनिवार्य रूप से एम0पी0 ऑनलाईन के माध्यम से जमा करना था। महाविद्यालयों के विशेष अनुरोध के आधार पर अब उक्त तिथि 01/03/2020 से बढ़ाकर दिनांक 31/03/2020 तक कर दी गई है। अतएव आप दिनांक 31/03/2020 तक अनिवार्य रूप से शुल्क जमा करें। यदि आपके द्वारा दिनांक 31/03/2020 तक शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आपको कुल राशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार देय होगा। जमा की गई राशि की दो हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें। जिससे सम्बद्धता/निरंतरता संबंधी कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकें।

कुलसचिव

12.3.2020

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय

जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 12/3/2020

पृ0 क्रमांक/अका./2020/5205 "अ"

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
2. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से इस अनुरोध के साथ की इस सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. नोडल अधिकारी ऑनलाईन (नोडल सेंटर) से इस अनुरोध के साथ कि उक्त अवधि अर्थात् दिनांक 01/03/2020 से दिनांक 31/03/2020 तक पोर्टल खोलने की व्यवस्था करें।
4. कुलपति जी/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा0दु0वि0वि0, जबलपुर।

सहायक कुलसचिव(अका0)